(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी
प्रकरण संख्या : 34/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 13.06.2025 निर्णय दिनांक : 23.09.2025

1. तेजपाल पुत्र डेडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम नारेड़ा खुर्द तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0,
2. शेरसिंह पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम नारेड़ा खुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

.....अप्रार्थीगण

3. अभयसिंह पुत्र डेडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
4. महाराम पुत्र डेडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम नारेडा खुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, ाजस्थान। .....तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री मती संजू यादव अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 की ओर सें।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमराणा के समक्ष प्रकरण अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी अनुवानी शेरसिंह बनाम तेजपाल, प्रकरण संख्या 02/2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती संजू यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 133 जा.फौ. बउनवानी शेरसिंह बनाम तेजपाल वगै0 प्रकरण संख्या 02/2024 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध प्रस्तुत करने पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य रिकार्ड दुरूस्ती का वाद बअनुवानी महाराम बनाम शिवराम प्रकरण संख्या 124/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है एवं न्यायालय द्वारा प्रकरण में आराजी के संबंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के स्थगन आदेश पारित कर रखे है उपरोक्त आदेश आज दिन तक यथावत है पक्षकारान के नियमित वाद के निस्तारण तक धारा 133 सीआरपीसी के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती इसलिये उपरोक्त पत्रावली निरस्त की जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के उनके परिवारजन के दवाब में व

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

उनकी राजनैतिक पहुंच के कारण विधि विरूद्ध जाकर धारा 133 सीआरपीसी के तहत प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनकी स्वयं की खातेदारी की भूमि से बेदखल कर जबरन रास्ता निकालने पर उतारू हो रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के दवाब में व स्थानीय राजनैतिक दवाबवश उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर धारा 133 सीआरपीसी के तहत विधि विरुद्ध जाकर आदेश पारित कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 02 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जबकि प्रार्थी एक काश्तकार व्यक्ति हे एवं अप्रार्थी सख्या 02 अपनी राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुये वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दवाब बनाकर धारा 133 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करवा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनकी निजी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर व रास्ता निकाले पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से उपरोक्त पत्रावली में न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा लगाये जाने वाले राजनैतिक दवाब के कारण प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत कर धारा 133 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करवा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनकी निजी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर व रास्ता निकाले पर आमादा हो रहे है इसलिए प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी शेरसिंह बनाम तेजपाल वगैरा मुकदमा नम्बर 02/2024 प्रकरण अतर्गत धारा 133 सीआरपीसी का स्थानान्तरण जिले के अन्यत्र न्यायालय में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

5. वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मनमाने व झूठे तथ्य अंकित करते हुए पेश किया है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अतः उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, थाना अधिकारी पुलिस थाना नीमराना के द्वारा अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी का इस्तगासा अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर गैरसायलान द्वारा जवाब पेश करने पर प्रकरण वास्ते बहस नियत की गई है।

   वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किये है। मात्र कयास के आधार पर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं हैं। प्रकरण में सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

   उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़